न्यायालय, जिला कलक्टर सीकर
पीठासीन अधिकारी, यज्ञ मित्र सिंहदेव आई.ए.एस.

पत्रावली संख्याः 35/2015 अपील नामान्तरकरण

1. जुमल बानो (मृत) पुत्री जगला उर्फ जमाल जाति मुसलमान धोबी निवासी भाटी मेंशन के सामने बजाज रोड़ सीकर हाल आबाद वार्ड नम्बर 7 समलीगरों का मौहल्ला नागौरी गेट के बाहर डीडवाना जिला नागौर राज.

1/1 मोहम्मद इस्माईल 1/2 मोहम्मद इकबाल 1/3 अहमद 1/4 मोहम्मद रफीक 1/5 मोहम्मद सद्दीक 1/6 अस्मत बानो 1/7 नूर बानो 1/8 नूरजहां	समस्त पुत्रगण व पुत्रियां जुमल बानो जाति मुसलमान धोबी, निवासीगण भाटी मेंशन के सामने बजाज रोड़, सीकर हॉल आबाद वार्ड नम्बर 07, समलीगरो का मौहल्ला नागौरी गेट के बाहर डीडवाना जिला नागौर।

अपीलान्टस

बनाम

1. गुलाम सरवर 2. सिराजुदीन 3. मोहम्मद रमजान 4. अब्दुल हमीद 5. मोहम्मद ईशाक 6. सईदन बानो 7. नूर बानो 8. मदीना बानो 9. शब्बीर अहमद	पुत्रगण व पुत्रियां स्व. कजोड़	समस्त जाति धोबी निवासीगण भाटी मेंशन के सामने, बजाज रोड़ सीकर तहसील व जिला सीकर राज.।
10. अब्दुल सत्तार 11. मोहम्मद शुबराती 12. चान्दली 13. मुन्नी 14. अलहमदो 15. रूकसाना बानो 16. आबिदा बानो	पुत्रगण एवं पुत्रियां स्व शफी	
17. फातिमा 18. मैना 19. खातून बेगम 20. लिकायत अली	पुत्रियां स्व. पीरू पत्नी एवं पुत्रगण स्व. यासीन	

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर, सीकर

Scanned by CamScanner

21. मोहम्मद सलीम	
22. निसार अहमद	
23. कुर्बान अली	
24. जाकिर हुसैन	पुत्रगण एवं पत्नी स्व. आमीन
25. मोहम्मद जावेद	
26. मोहम्मद आबिद	
27. मोहम्मद साजिद	
28. मोहम्मद अजीज	
29. शरीफन बानो	
30. मोहम्मद इमरान	पुत्रगण एवं पत्नी स्व. असगर
31. मोहम्मद इरफान	
32. खातुन बानो	
33. तहसीलदार सीकर	

रेस्पोडेन्टस

उपस्थितः–

1. श्री नसीर अहमद खान अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री संजीव कुमार माथुर अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस की ओर से।

<u>अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 341 दिनांक 31.01.1983 द्वारा तहसीलदार सीकर</u>

निर्णय

निर्णय दिनांकः 11 अक्टूबर, 2019

1. अपीलान्ट ने अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से होना अंकित किया है किः–

(1) ग्राम राधाकिशनपुरा पटवार एवं गिरदावर हल्का कुडली तहसील व जिला सीकर की तन में कृषि भूमि खसरा नम्बर 22 रकबा 3.30 हैक्टेयर जिसके पुराने खसरा नम्बर 374 रकबा 14 बीघा 5 बिस्वा अवस्थित है। उक्त कृषि भूमि में अपीलान्ट के पिता जगला उर्फ जगाली उर्फ जमाल पुत्र बोदू का 1/2 हक व हिस्सा रहा है। अपीलान्ट के पिता का स्वर्गवास हो चुका है।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

(2) अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 32 स्व. जगला उर्फ जगाली उर्फ जमाल पुत्र बोदू के वारिसान हैं। स्व. जगला उर्फ जगाली उर्फ जमाल के अपीलान्ट के अलावा तीन पुत्र कजोड़, शफी, पीरू हुए जिनकी मृत्यु हो चुकी है व पीरू के तीनों पुत्र यासीन, आमीन व असगर की भी मृत्यु हो चुकी है।

(3) उक्त वर्णित कृषि भूमि पैतृक है जो पूर्व में राजस्व रिकॉर्ड में अपीलान्ट के पिता के नाम से दर्ज रही है तथा अपीलान्ट के पिता के कब्जे व खातेदारी में रही है।

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर, सीकर

Scanned by CamScanner

अपीलान्ट के पिता की मृत्यु के पश्चात विरासत का नामान्तरकरण तहसीलदार सीकर द्वारा दिनांक 31.01.1983 को गलत रूप से अपीलान्ट का नाम छोड़ते हुए अपीलान्ट के भाई कजोड़, शफी व पीरू के नाम भर दिया गया जबकि अपीलान्ट का नाम भी साथ में भरा जाना चाहिए था। अपीलान्ट स्व. जगला की जायन्दा पुत्री है। मुस्लिम विधि के अनुसार अपीलान्ट को उसके पिता की कृषि भूमियों में भाईयों की तरह ही समान अधिकार प्राप्त हैं। इसलिए नामान्तरकरण संख्या 341 दिनांक 31.01.1983 विधि सम्मत नहीं भरा गया।

(4) रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 32 के पूर्वज कजोड़ पीरू शफी ने कोई वारिसनामा बनाकर पेश नहीं किया व राजस्व अभियान में अपने नाम से नामान्तरकरण भरवा लिया जबकि विरासत के आधार पर भरे जाने वाले नामान्तरकरण के लिए वारिस प्रमाण पत्र लेकर ही नामान्तरकरण भरा जाना चाहिए था। इसलिए उक्त नामान्तरकरण खारिज होने योग्य है।

(5) अपीलान्ट जगला की जायंदा पुत्री है। कानूनन उसकी भूमि में अपीलान्ट का हक व हिस्सा है एवं अपीलान्ट विरासत में सम्पति प्राप्त करने की अधिकारी है। मुस्लिम विधि के अनुसार एक मुस्लिम व्यक्ति की मृत्यु होने की स्थिति में उसकी वारिसान में सम्पति निहीत हो जाती है। राजस्व अभियान के दौरान भरे गये नामान्तरकरण में जगला के वारिसान के सम्बन्ध में कोई जांच नहीं की गई और न ही कोई कब्जे काश्त के बारे में जांच की गई है।

(6) अपीलान्ट को इस नामान्तरकरण के सम्बन्ध में पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। रेस्पोडेन्ट द्वारा अनजान व्यक्तियों को भूमि विक्रय करने के लिए दिखाने व इसकी जानकारी होने पर अपीलान्ट द्वारा राजस्व रिकॉर्ड की नकल दिनांक 06.07.2015 को प्राप्त करने एवं इसके खसरान की जमाबन्दी दिनांक 09.06.2015 को प्राप्त करने पर सम्पूर्ण मामले की जानकारी हुई। इसलिए अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुई देरी के लिए दफा 5 मियाद का आवेदन पत्र मय शपथ पत्र पेश है।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरकरण संख्या 341 दिनांक 31.0.1983 तहसीलदार सीकर का निरस्त फरमाया जाने का आदेश फरमावे।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिए नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्टस की ओर से अधिवक्ता श्री संजीव कुमार माथुर उपस्थित आये।

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर, सीकर

Scanned by CamScanner

3. बहस उभयपक्ष सुनी गई।

4. वकील अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि राजस्व रिकॉर्ड में अपीलान्ट के पिता के नाम से दर्ज रही है तथा अपीलान्ट के पिता के कब्जे व खातेदारी में रही है। अपीलान्ट के पिता की मृत्यु के पश्चात विरासत का नामान्तरकरण तहसीलदार सीकर द्वारा दिनांक 31.01.1983 को गलत रूप से अपीलान्ट का नाम छोड़ते हुए अपीलान्ट के भाई कजोड़, शफी व पीरू के नाम भर दिया गया जबकि अपीलान्ट का नाम भी साथ में भरा जाना चाहिए था। अपीलान्ट स्व. जगला की जायन्दा पुत्री है। मुस्लिम विधि के अनुसार अपीलान्ट को उसके पिता की कृषि भूमियों में भाईयों की तरह ही समान अधिकार प्राप्त हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरकरण संख्या 341 दिनांक 31.0.1983 तहसीलदार सीकर का आदेश निरस्त फरमाया जावे।

5. वकील रेस्पोडेन्टस ने लिखित बहस पेश अभिकथन किया कि अपील में अधीनस्थ तहसीलदार सीकर द्वारा की गई किसी illegality or irregularity को चुनौती नहीं दी गई है बल्कि चुनौतीग्रस्त नामान्तरकरण संख्या 341 दिनांक 31.01.1983 को अभियान के दौरान बाद जांच विरासत के आधार पर भरकर तस्दीक किया गया था। उक्त अपील 32–33 वर्षों बाद पेश की गई है, जो मियाद बाहर है। अपीलान्ट को कोई कब्जा काश्त ना तो कभी पूर्व में रहा है और ना ही वर्तमान में है। नामन्तरकरण भरना एक Ficsal proceeding है, इसके खातेदारी की उद्घोषणा भी नहीं की जा सकती। अपीलान्ट ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर के समक्ष खातेदारी अधिकारों की उद्घोषणार्थ एक वाद संख्या 186/2015 भी दायर कर रखा है। यदि अपीलान्ट का कोई हक बनता है तो उक्त वाद में तय हो जायेगा। अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट संख्या 6 सईदन बानो पुत्री स्व. कजोड़ की मृत्यु अपील दायरी से पूर्व फरवरी 2015 में ही हो जाने की जानकारी होते हुए भी मृत व्यक्ति के खिलाफ हस्तगत अपील पेश की है। अपीलान्ट को उक्त तथ्य की जानकारी होते हुए भी हस्तगत प्रकरण में से नातो उसका नाम हजफ करवाया और ना ही आज तक किसी कायम मुकाम को इस प्रकरण में पक्षकार संस्थित करने का कोई प्रयास किया गया। अपीलान्ट जुमल बानो का निकाह सन 1953 में उसके वालिद साहब जगला उर्फ जमाल पुत्र बोदू ने अपने जीवनकाल में ही रेस्पोडेन्टस के वालिद कजोड़, शफी व पीरू के आर्थिक सहयोग से राजस्थान काश्कारी अधिनियम 1955 एवं राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रभाव में आने के पूर्व ही उसका हिस्सा देते हुए कर दिया था। मुस्लिम विधि में नाना की सम्पति में दोहिते–दोहितियों का कोई हक–हिस्सा नहीं होता है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाने का श्रम करें।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर, सीकर

Scanned by CamScanner

6. हमने अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का बगौर अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट स्व. जगला उर्फ जगाली उर्फ जमाल पुत्र बोदू की जायंदा पुत्री है। कानूनन उसकी भूमि में अपीलान्ट का हक व हिस्सा है एवं अपीलान्ट विरासत में सम्पति प्राप्त करने की अधिकारी है। मुस्लिम विधि के अनुसार एक मुस्लिम व्यक्ति की मृत्यु होने की स्थिति में उसकी वारिसान में सम्पति निहीत हो जाती है। वकील अपीलान्ट द्वारा पेश की गई नजीर राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.10.2012 उनवान हारून आदि बनाम जुबेदा आदि तथा दाय की विधि के अनुच्छेद 3 के अवलोकन से भी यह स्पष्ट है कि मुस्लिम विधि के अनुसार पिता की विरासत कृषि भूमियों में 1/3 भूमि की हकदार है।

7. अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर द्वारा भरा गया नामान्तरकरण संख्या 341 दिनांक 31.0.1983 का आदेश निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार सीकर को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित पक्षकारों को साक्ष्य सबूत पेश करने का समूचित अवसर प्रदान कर प्रकरण का विधि अनुसार परीक्षण कर गुणावगुण के आधार पर **एक माह** के भीतर निस्तारण करें।

8. निर्णय आज दिनांकः ।। **नवम्बर, 2019** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर, सीकर

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर, सीकर

Scanned by CamScanner